ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 105-108
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी0 एस0 टी0) विकास की एक नयी उम्मीद

दयाशंकर सिंह यादव
सहायक प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, सी0एस0एन0 पी0जी0 कॉलेज, हरदोई (उ0प्र0) भारत

Received- 26.05.2019, Revised- 30.05.2019, Accepted - 05.06.2019 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : *भारत में कई स्तर की सरकारें और कई स्तरों के कर है। केंद से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर पंचायत स्तर के कर इस वक्त हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य माल ले जाने पर कर है। किसी षहर में घुसने के लिए एंट्री टैक्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उतपद में करीब 65 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। सौ से ज्यादा सेवाओं पर सेवा कर लिया जा रहा है। गुड्स यानी साज सामान कार, ट्रक, बाइक से लकर सिगरेट वगैरह पर कर लगता है, उसे उत्पाद षुल्क कहते है। यह दर अलग –आलग हैं। किसी आइटम पर यह दर कम है, किसी पर ज्यादा है। अब जीएसटी के तहत योजना है कि सारी वस्तुओं ओर सेवाओं को एक ही तरह के कर के दायरे में लाया जाए, उसे कहा जाए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कुल मिलाकर कर व्यवस्था में मच रही अव्यवस्था को ठीक किया जाए।*

कुंजीभूत शब्द– एंट्री, टैक्स, अर्थव्यवस्था, घरेलू, उतपद, प्रतिशत, गुड्स, सामान, कार, ट्रक, बाइक सिगरेट।

जीएसटी पर हाल में आई अरविंद सुब्रहमणयम की रिपोर्ट ने बताया था कि अधिकांा वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर 18 प्रतिशत के आसपास हो सकती है। पर वैसा हुआ नही, जीरों परसेंट, पांच परसेंट, 12 परसेंट, अठारह परसेंट, 28 परसेंट चार कर दरें बनीं। जीरों कर दर को कोई दर ना माना जाए। फैसलों का अधिकार जीएसटी काउंसिल को रहेगा। चूंकि जीएसटी का असर केंद्र और राज्यों दोनों स्तर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, इसलिए यहां केंद्र और राज्य दोनों स्तर के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इस तरह से देखें, तो जीएसटी में केंद्र और राज्यों का प्रतिधिनित्व है। कुल मिलाकर इस व्यवस्था से साफ होता है कि कराधान के अधिकार केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व से तय होगें। मोटे तौर पर जीएसटी पर सबसे बड़ा बवाल कांग्रेस द्वारा लगाई गई षर्त थी कि जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत पर फिक्स कर दिया जाए औश्र इस दर को पक्के तौर पर संविधानमें ही दर्ज कर दिया जाए। इस मोंग का मतलब था कि कभी जीएसटी को बढ़ाना हो तो संविधान को बदलने जैसा मुश्किल और जटिल काम हो जाए। यह अव्यावहारिक शर्त थी। कर की दरं संविधान में नही लिखी जा सकती। पर बजट संविधान द्वारा दी गई ताकतों के तहत सरकार बनाती है और उस पर आपत्तियां, सुझाव दर्ज कराने का जिम्मा विपक्ष का है। कुल मिलाकर यह शर्त ऐसी थी, जिसे कोई भी सरकार नहीं मान सकती थी। सवाल है कि जीएसटी के मसले पर देरी के नुकसान क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीए ईआर) ने दिसम्बर, 2009 में तेरहवें वित्तीय आयोग के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, इस रिपोर्ट का षीर्शक था मूविगं टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया इंपेक्ट ऑन इंडियाज ग्रोथ एंड इंटरनेषनल ट्रेड। इसमें बताया गया था कि जीएसटी लागू होने पर विकास दर में दषमलव 9 प्रतिशत से लेकर 1ण्7 प्रतिषत अनुमानित की जा रही है, वह बढ़कर नौ प्रतिषत सालाना हो सकती है। नौ प्रतिशत सालाना विकास दर का मतलब हुआ कि भारत में रोजगार ज्यादा होगा। आय ज्यादा होगी। अर्थव्यवस्था कुशलता की ओर तमाम वजाहें से जाएगी। अभी उदाहरण के लिए किसी आइटम का कच्चा माल महाराष्ट्र से आता है, उसका अंतिम आइटम आंध्रप्रदेश में बनाता है और वह बिकता तमिलनाडु में है, तो इससे जुड़े तमाम सौदों में तीन राज्यों के कराकं के मसले षमिल होगें। तीन स्तर पर करों को निपटाने में समय, ऊर्जा का व्यय होता है। एक कर हो, उसमें ही सरे राज्यों के कर समाहित हो जाएं तो करदाता के लिए यह राहत की बात होगी। वित मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रहण्यम ने जीएसटी पर पेश रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी से इंडिया को सही मायने में एक होने में मदद मिलेगी यानी तमाम साज सामान एक राज्य से इसरे राज्य कर जटिलताओं के बगैर आ जा पाएगा। मेक इन इंडिया बाय मेंकिगं वन इंडिया इस मुहावरे को अरविंद प्रयुक्त करने हैं। एक राज्य के ट्रक बिना तमाम एंट्री टैक्स, कर बगैरह की चौकियों पर रूके अगर तेज गति से चलें तो पूरी अर्थव्यवस्था को उसका फायदा मिलेगा। अमेरिका में एक ट्रक रोज औसत 800 किलोमीटर चलता है, पर भारत में औसत 280 किलोमीटर। वजह है कि भारतीय ट्रक को तमाम

अनुरूपी लेखक

PIF/3.007 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

कर बिंदुओं पे रूकना होता है। सड़क पर ट्रक चार घंटे होता है, तो उसमें सके एक घंटा तसे सिर्फ तमाम कर बिंदुओं की हाजिरी देने में ही खर्च होता है। जीएसटी लागू होता है तो तमाम कर बिंदुओं का खात्मा हो जायेगा। हर तब ट्रक रोज छह घंटे ज्यादा चल पाएंगें करीब 164 किलोमीटर रोज ज्यादा चल पाएंगें। ट्रक तमाम राज्यों की लागत कम होगी। भारत में जीएसटी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है। कि तमाम कारोबारी ट्रेफिक का करीब 72 प्रतिशत सड़कों के जरिए ही होता है, जो जीएसटी के जरिए सीधें लाभविन्त होगा। तो उम्मीदें बहुत है, पर वो ठोस शक्ल लें तो ठोस परिणाम आएगें। पर यह साफ है कि अब कठिनाइयों के बावजूद जीएसटी देर सबेर वांछित परिणाम देने लगेंगा क्योंकि सरकार इसे हर कीमत पर सफल बानाने के लिए प्रतिबध होगी। कोई भी कर सुधार अगर सफलाता से लागू नहीं होता तो वोटरों की नारजगी लकर आता है लोकतंत्र में कोई भी सरकार लंबे अरसे तक जनता की नाराजगी नहीं झेल सकती।

जी एस टी परिचय. आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाने वाला जीएसटी 1 जुलाई 2017 से गया है।

1. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। सभी प्रकार के सामान व सोवा पर वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसें करों की जगह सिर्फ एक ही कर लगेगा।
2. इसके तहत वस्तुओं के फैक्टरी से उत्पादित होने के बिदुं पर कर लगए जाने के बजाए उनके विक्रय या आपूर्ति के बिंदु पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, जिससे आपूर्ति की श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर कराधान के विभिन्न बिंदुओं पर होने वाले भ्रश्टाचार और कर अपवंचन की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी।
3. दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में जीएसटी प्रणाली लागू है। इनमें से अधिकांष देशों के कर संग्रह में नाटकीय सुधार हुआ है, और जीडीपी की विकास दर बढ़ी है
4. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार जीएसटी लागू करने भर से ही देश की जीडीपी की विकास दर 0.9 से 1.7 फीसद तक बढ़ सकती है।

देश में जीएसटी की शुरूआत– जीएसटी बनाने की प्रक्रिया एक दषक से चल रही है। विजय केलकर के नेतृत्व वाली समिति ने पहली बार इसका प्रस्ताव किया था और इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2004 में सौपीं थी। उसके बाद संप्रग षासनकाल में पी.चिदबरम् और प्रणब मुखर्जी ने इसे आगें बढ़ाया। अंतत चिदंबरम् ने मार्च, 2011 में इस बारे में लोक सभा में विधेयक पेश किया दुनियाभर में सबसे पहले वैंट लागू करने वाला देश फ्रांस था। हालांकि वैट का विचार सबसे पहले जर्मनी के एक व्यवसायी विल्हेम वॉन सीमेंस ने 1920 के दषक में दिया था फ्रांस के कर प्रशासन के संयुक्त, निदेशक मौरिस लॉरी ने इसे सबसे पहले मूर्तरूप दिया, इसलिए दन्हें कथित तौर पर फादर ऑफ वैट भी कहा जाता है। फ्रांस 1954 में वैट लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों ने वैट लागू किया जीएसटी के फायदे?

1. संविधान के मुतबिक केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा सकती हैं।
2. अगर कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपने उत्पाद बनाकर दूसरे राज्य में बेचता है, तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है
3. जीएसटी लागू होने से उत्पादों की कीमत कम होगी कर विवाद में होगी कमी
4. कई बार देने से छुटकारा मिल जाएगा। इससे कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में कम हो जाएगी। एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार कर लगाने की जरूरत नहीं पडेंगी, सिर्फ इसी टैक्स से सारे टैक्स वसूल कर लिए जाएगें
5. इसके अलावा, इससे जहां कई राज्यों में राजस्व बढ़ेगा तो कई जगह कीमतों में कमी भी होगी

4 types of GST in India

SGST (State Goods and Services Tax)

CGST (Central Goods and Services Tax)

IGST (Integrated Goods and Services Tax)

UGST (Union Territory Goods and Services Tax)

जीएसटी का अच्छा पहलू– जीएसटी हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता में आड़े आने वाजी अड़चन का समाधान करने वाला है। जीएसटी के न होने की सूरत में हमें कराधान के अनेक जगहों और अनके नयाधिकार क्षेत्रों का सामना करना पड़ता रहा है। आदानों पर चुकाए जा चुके करों के समायोजन संधी अधूरी प्रणली से काम चलाना पड़ता रहा है जिससे लागतें बढ़ जाती है। इसके अलावा, करों के दोहराव कर के ऊपर कर की समस्या का भी समाना करना पड़ता रहा है। इतना ही नही, बल्कि केंद्रीय बिक्री कर तथा प्रवेश करों, जिनका समायोजन नही किया जाता के कारण कारोबारी

बोझिलता इस कदर बढ़ जाती थी कि अतरराज्यीय करोबर का सिलसिला गड़बड़ी जाता है।

यह राष्ट्रीय सहमति को बयां करता है, जो 29 राज्यों तथा सात केंद्रषासित प्रदेशों की केद्र सरकार के साथ बातचीत के काफी दौर के पश्चात सिरे चढ़ सकी है। राज्यों ने वस्तुओं पर बिक्री कर (वैट) लगाने का अपना अधिकार तथा केद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने का अपना अधिकार छोड़ने पर सहमति जतलाई है। इसके बदले राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहीत एकीकृत (जीएसटी से उन्हें कुछ हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा, इस व्यवस्था से दक्षता, प्रतिस्पर्धा अैर समग्र कर संग्रहन के रूप में अतिरिक्त लाभ मिलने का भी अनुमान है। तीसरा, जीएसटी लागू हो का तात्पर्य होगा कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकीकृत अैर अखंडित राष्ट्रीय बाजार मुहैया हो जाएगा। ऐसे बाजार तक लघुस्तरीय करों से बचने के लिए स्टॉक भंडारण की जरूरत नहीं रहेगी। इससे कुछ पूंजी भी अतिरिक्त कार्यो के लिए मुक्त हो सकेगी। इनत माम बातों से मांग बढ़ेगी। दक्षता भी सुधरेगी। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च और अन्यों का आकलन है कि सतत आधार पर राष्ट्रीय जीडीपी कि सतत आधार पर राश्ट्रीय जीडीपी में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि संभव है। चौथा चूंकि वैल्यू चेन में पूर्व चरण में करों का भुगतान कर चुकने का दावा और आदान कर भुगतान संबधी दावा परस्पर आबाद्ध होगं, इसलिए विक्रेता और उपभोक्ता को इंटरलॉकिगं राहत मिल सकेगी। विक्रेता को इस बाबत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं रहेगीः क्या आप रशीद लेना चाहेगं या बिना रशीद के ही काम चला जाएगा? इस निहित लाभ के कारण कुल करों के भुगतान अैर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जीएसटी का यह एक और लाभ होगा। दरअसल,काली अर्थव्यवस्था का खासा हिस्सा कर भुगतान करने वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाएगा।

जीएसटी की कमियां– जीएसटी के तमाम सकरात्मक पहलुओं और लागू करने में दुर्लभ और ऐतिहासिक राजनीतिक सहमति के बावजूद हमें इसके नकारात्मक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, इस व्यवस्था को लागू करने में होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को भी अनदेखा नही किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ मुद्दों पर गौर किया जा सकता है पहला, एकसमान जीएसटी दर से जुड़ा बड़ा मसला है, जिसकी ददेखी नहीं की जा सकती। यह दर क्या होनी चाहिए? वित मंत्रालय की 2003 में आई एक रिपोर्ट में इस दर का 12 प्रतिशत के तौर पर उल्लेख किया गया था बीते वर्शो में यह दर ऊपर की ओर खिसकी है, और अब जिस एक अंक की चर्चा हो रही है, वह 18 प्रतिशत है। यह दर किन कारकों से निर्धारित होती है।? वित मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति रेवेन्यू न्यूट्रल रेट या आरएनआर नाम की अवधारणा का इस्तेमाल करती है। आरएनआर वह एक समान दर है, जिसे लागू किए जाने पर सभी राज्यों का राजस्व पहले जितना ही रहेगा। इसलिए किसी भी राज्य का मात्र इसलिए नुकसान नहीं होना चाहिए कि उसने जीएसटी लागू करने पर सहमति जतलाई है, लेकिन यह तरीका दोशपूर्ण है। कारण, जब तक इसे एक वर्श (या ज्यादा) के लिए लागू नही किया जाता तब तक जीएसटी से लाभान्वित नही हुआ जा सकता। राज्यों की आशंकाओं के निवारण के लिए आरएनआर की गणना के लिए प्रत्येक संभव मौजूदा कर (जैसे प्रवेष कर, चुंगी वगैरह) पर भी गौर किया गया हैं। इस करके आरउनआर में तेजी से बढ़ने का रूझान बना है। एक मौके पर नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने इसे 26 प्रतिशत के स्तर पर आंका था। जितना ऊंचा आरएनआर (और इस प्रकार जीएसटी दर भी) होगा, उतना ही इसका मुद्रस्फीतिकीय प्रभाव होगा।कि शुरूआती समय में जीएसटी दर नीची रखी जाए। इस कारण से राज्यों को होने वाले नुकसान की प्रत्येक वर्ष के आखिर में पूरी भरपाई करने का आश्वासन दिया जाए। ऐसा संभव हुआ तो जीएसटी के लाभ हैरत में डाल देने वाले साबित हो सकते हैं। तालमेंल नहीं बैठने को लेकर आशंका अनुच्छेद 246 ए संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं को यह अधिकार देता है कि वे सामान और सेवाओं पर कर लगा सकते है। ऐसे में कर को लेकर एक संसदीय कानून और विभिन्न राज्यस्तरीय कानून हैं, जो जीएसटी वसूल करेगें।

आर्थिक सुधार– पिछले दो तीन साल में ही सर्विस टैक्स 12.5 से बढ़कर 15 फीसद तक पहंच चुका है और इसकी चुभन तमाम सेवाओं का बिल चुकाते वक्त महसूस की जा सकती है। मतलब साफ है, कारोबार में आसानी और टैक्स सरलता आम जनता पर महंगी सेवाओं का बोझ लेकर आएगी। खाने –पीने की चीजों पर महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह उनकी मांग बढ़ेगी या कम होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते है। ऐसे में रोजगार जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है जबकि इस क्षेत्र में सिर्फ 26 फीसदी लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये आंकड़े देश में रोजगारहीन आर्थिक वृद्धों की तस्वीर पेश करते है। अगर वस्तुओं की बात करें तो अभी किसी सामान के बनने और ग्राहक तक पहंचने के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के दर्जन भर से ज्यादा टैक्स लगते है। इनमें वैट और उत्पाद टैक्स लगते है। इनमें वैट उत्पाद शुल्क प्रमुख है। इस तरह वस्तुओं पर 27–28 फीसद अप्रत्यक्ष करों का बोझ पड़ता जो आखिरकार उपभोक्ता की जेब से जाता है। कई बार टैक्स पर टैक्स की दोहरी मार पड़ती है। मिसाल के तौर पर, उत्पाद

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

शुल्क गाणना में वैट जोड़कर की जाती है। यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जीएसटी आने का फायदा यह होगा कि न सिर्फ करों की भरमान से छुटकारा मिलेगा बल्कि दोहरे कर की मार से कारोबार और उद्योगों को राहत मिलेगी। यही वजह है कि जीएसटी को एक बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। आगर जीसटी की दरें 18–20 फीसद के आसपास तय होती हैं। तो वस्तुओं पर करों का बोझ निश्चित तौर पर घटेगा । सैद्धांतिक तौर पर, इसे चीजें सस्ती होनी चाहिए और इसका फयदा उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसा कि अैसर देखा जाता है करों में छूट या कीमतों में कमी का पूरा फायदा कभी भी अंतिम उपभोक्ता तक नही पहंचता। या तो मैन्युफैक्चरिगं करने वाले अपनी उत्पादन लागत बढ़ा देते है। या फिर बिचौलिए अपना मुनाफा। फिर भी यह बात फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि जीएसटी दरें कितनी होगी, इससे वस्तुओं की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और फिर मांग और उत्पादन कैसे प्रभावित होगें। ऐसे में रोजगार के अवसरों के बारें में कोई दावा करना वाकई दूर की कौड़ी है। वैसे अभी इस बात में भी संशय है कि केंद्र व राज्य सरकारें और उद्योग जगत जीएसटी की नई प्रणाली को अपनाने के लिए कितना तैयार हैं। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में कितना समय लगेगा और उस पर कितना खर्च आएगा?

निष्कर्ष– अनुभव बताते हैं कि जिन देशों में जीएसटी जैसी व्यवस्था लागू हुई वहां शुरूआती वर्षो में महंगाई बढ़ी है। भारत में भी जीएसटी के समर्थक शुरूआती तीन वर्षो में महंगाई बढ़ने की बात स्वीकार कर रहें हैं। यही कारण है कि कई देशों में जीएसटी लागू करने वाली सरकारें अगला चुनाव हार गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि महंगाई की मार सिर्फ आम जनता पर ही नहीं पड़ेगी, इससे कारोबार और उद्योग जगत भी प्रभावित होगा। उत्पादन लागत खसतौर पर लेबर कॉस्ट बढेगी। यानी टैक्स ढ़ांचे में सरलता के फायदें महंगाई में बढ़ोत्तरी की चलते अपनी कीमत वसूलेगें विडंबना यह है कि कारोबार जगत के लिए जरूर इस सुधार की कीमत आम जनता को भरनी पड़ेगी। जीएसटी के तहत उत्पादन से लेकर खुदरा विक्रय तक विभिन्न चारणों में टैक्स की गणना की जाएगी। नई कर प्रणाली को लागू करने में बड़े पैमाने पर आईडी तकनीक के इस्तेमान और कड़े क्रियान्वयन के चलते करोबार का बड़ा हिस्सा असंगाठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। असंगठित क्षेत्र देश में करीब 86 फीसद लोगों को रोजगार दे रहा है और जीटीपी में करीब 50 फीसद योगदान करता है। जीएसटी लागू से कई असंगठित कारोबार भी टैक्स के दायरे में आ जाएंगें। और अप्रत्यक्ष करदाताओं की तादाद कई गुना बढ़ सकती है।

*****